दिनांक	आज्ञा पत्र	
3.9.24	पत्रावली पेश। बहस अपील सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 19.9.24 को पेश हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
19.9.24	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट.....खारिज..... की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 49/2021

1 प्रभुराम उम्र 65 साल पुत्र स्व. नारायणी व कालूराम जाति मेघवंशी निवासी ग्राम फकीरपुरा तहसील धोद जिला सीकर राज.।

अपीलांट

बनाम

1 रामनिवास पुत्र अर्जुन राम
2 भगवानाराम (फौत)
2/1 द्रोपदी पत्नी भगवानाराम
2/2 दयाला पुत्र भगवानाराम
2/3 तुलछीराम पुत्र भगवानाराम
2/4 योगेश पुत्र भगवानाराम
2/5 आरती पुत्री भगवानाराम
3 रामदेवाराम पुत्र अर्जुनराम
4 रामदेवी बेवा अर्जुनराम
समस्त जाति बलाई निवासीगण फकीरपुरा तहसील धोद जिला सीकर

रेस्पोडेन्ट/वादीगण

5 बिड़दाराम पुत्र नारायणी व कालूराम जाति बलाई निवासी फकीरपुरा तहसील धोद जिला सीकर
6 जगदीश पुत्र भगवाना जाति बलाई निवासी ग्राम दंतुजला तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
7 तहसीलदार धोद तहसील धोद जिला सीकर।
8 उप पंजीयक धोद तहसील धोद जिला सीकर।

रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 225 आरटीएक्ट सपठित धारा 104 व आदेश 43 नियम 1 (घ) सीपीसी विरूद्ध आदेश दिनांक 31.03.2021 न्यायालय सहायक कलेक्टर मु. सीकर पीठासनी अधिकारी सरिता माण्डिया आरएएस विविध प्रकरण संख्या 17/2019 बउनवानी प्रभुराम बनाम रामनिवास आदि आवेदन अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सीपीसी

उपस्थिति :

1. श्री हरफूल सिंह खीचड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सागरमल धायल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

—निर्णय—

दिनांकः— 19.9.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर मुख्यालय सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 17/2019 में पारित निर्णय दिनांक 31.03.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक आवेदन आदेश 09 नियम 13 सीपीसी का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अन्तिम पृष्ठ पर प्रकरण के सारगर्भित तथ्यों एवं जवाब

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

का विवेचन न्यायिक मत के अनुसार नहीं करके मनमौजीपन से किया जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के पिता अर्जुनराम द्वारा कृषि भूमि खसरा संख्या 91 रकबा 1.18 हैक्टेयर वाके ग्राम फकीरपुरा के संबंध में वाद प्रस्तुत किया उसमें अपीलान्ट के नाना दल्लाराम द्वारा उक्त भूमि अपंजीकृत दस्तावेज से बेचान करना अंकित किया परन्तु विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई गौर नहीं किया कि अपीलान्ट के नाना ने कभी भी कृषि भूमि का किसी अपंजीकृत दस्तावेज के माध्यम से अर्जुन राम को बेचान नहीं किया था नाही 100 रूपये मूल्य से अधिक की सम्पत्ति के अपंजीकृत अन्तरण प्रलेख के आधार पर राजस्व न्यायालय में वाद पोषणीय होता है नाही अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाने का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में कोई कानूनी प्रावधान है। विचारण न्यायालय ने चुनौतीग्रस्त आदेश के अन्तिम पृष्ठ पर आगे यह अंकित किया कि–' प्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर दिनांक 03.07.2008 को न्यायालय द्वारा पारित डिक्री एवं निर्णय के आधार पर नामान्तकरण संख्या 184 के तहत खसरा संख्या 91 पत्नी भगवानाराम, जगदीश प्रसाद पुत्र भगवानाराम हिस्सा 1/3, बिड़दीचन्द, प्रभुराम माता नारायणी हिस्सा 2/3 के नाम पर अनावेदक संख्या 1 लगायत 4 के नाम दर्ज हुई।' उक्त अंकन से ही यह अन्दाजा लगता है कि विचारण न्यायालय ने वादपत्र की पत्रावली का विधिपूर्ण अवलोकन नहीं किया अर्थात उक्त वादपत्र में पारित डिक्री को ही आदेश 09 नियम 13 सीपीसी के तहत अपीलान्ट ने चुनौती दी थी जिस कारण विचारण न्यायालय द्वारा डिक्री के आधार पर खातेदारी दर्ज होने का विवेचन नहीं करके चुनौतीग्रस्त डिक्री एवं वादपत्र तथा विधि के प्रावधानों का विवेचना करना न्याय संगत था परन्तु विचारण न्यायालय ने एकपक्षीय डिक्री का विधिपूर्ण विवेचन नहीं किया नाही विधि के प्रावधानों का विवेचन किया इसलिए चुनौतीग्रस्त आदेश स्थिर रहने योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय के निर्णय के अन्तिम पृष्ठ पर आगे एफआईआर में अपीलान्ट के तथाकथित आवेदन के आधार बनाकर व निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत नहीं करने व

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सक्षम न्यायालय के समक्ष उक्त डिक्री के विरूद्ध चाराजोही नही करने को आधार बनाकर चुनौतीग्रस्त आदेश पारित कर, अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आदेश 09 नियम 13 सीपीसी के आवेदन को खारिज कर दिया जबकि अन्वेषण के दौरान साजसी तौर पर अपीलान्ट के अशिक्षित होने का फायदा उठाकर नाजायज तरीके से अंगूठा निशानी लगवा कर प्राप्त खाली कागज को आवेदन के संबंध में दुरूपयोग किया था। जिसके आवेदन को आधार बनाकर आदेश 09 नियम 13 सीपीसी के आवेदन को खारिज किया जाना न्याय संगत नहीं था यदि अपीलान्ट वकालतनामा पर अपने अगूंठा निशानी लगे होना स्वीकार करता तो आदेश 09 नियम 13 सीपीसी के आवेदन को भी 'नोटप्रेस' कर देता नाही पुलिस कार्यवाही, सिविल कार्यवाही पर अधिभावी प्रभाव रखती है नाही अपीलान्ट ने उक्त वकालतनामा पर अपने अगूंठा निशानी होना स्वीकार किया था इसके अलावा विचारण न्यायालय ने आगे यह अंकित किया कि 'उक्त डिक्री के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपने हितों की रक्षा हेतु चाराजोही नहीं की।' विचारण न्यायालय द्वारा आदेश 09 नियम 13 सीपीसी के आवेदन को निर्णित करते समय चुनौतीग्रस्त आदेश में यह लिखा जाना सर्वथा विधि विरूद्ध है क्योंकि उक्त डिक्री आदेश 09 नियम 13 सीपीसी के आवेदन में चुनौतीग्रस्त है तो क्या वह सक्षम न्यायालय के समक्ष चाराजोही नहीं है।' अर्थात विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी महोदय ने यह अंकन करते समय न्यायिक मस्तिष्क को उपयोग नहीं किया। अर्थात अपीलान्ट को उक्त डिक्री की जानकारी होते ही आदेश 09 नियम 13 सीपीसी के तहत चुनौती दे दी जो कि सक्षम कानूनी कार्यवाही है। इसलिए भी चुनौतीग्रस्त आदेश स्थिर रहने योग्य नहीं होने के कारण चुनौतीग्रस्त आदेश को अपास्त किया जाना प्रार्थनीय है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र आदेश 09 नियम 13 सीपीसी के संलग्न न्यायालय में प्रस्तुत तथ्यों एवं जवाब आवेदन पत्र के अनुसार विचारण न्यायालय द्वारा निर्णित वाद संख्या 445/2003 में अप्रार्थीगण द्वारा कृषि भूमि खसरा नम्बर 91 रकबा 1.18

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव.
पदेन राजस्व अपील अधिक
सीकर

वाके ग्राम फकीरपुरा तहसील धोद में आवेदक/प्रार्थी के मामा दल्लाराम द्वारा अपंजीकृत दस्तावेज से बेचान किया जाना बताकर उद्घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, जिसमें प्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर दिनांक 03.07.2008 को न्यायालय हाजा द्वारा पारित डिक्री एवं निर्णय के आधार पर ना.क. सं. 184 के तहत खसरा नम्बर 91 रकबा 1.18 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम फकीरपुरा के राजस्व रिकार्ड से संकरी देवी पत्नी भगवानाराम, जगदीशप्रसाद पुत्र भगवानाराम हिस्सा 1/3, बिड़दीचंद, प्रभुराम माता नारायण हिस्सा 2/3 के स्थान पर अनावेदक संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज हुई। पत्रावली में वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली, सीकर के यहां तत्समय विचाराधीन परिवाद 209/2016 जिसमें निशानी करना कथन किया है किन्तु दौराने जांच थानाधिकारी, पुलिस थाना, कोतवाली, सीकर के समक्ष प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वाद संख्या 445/2003 में प्रस्तुत वकालतनामा पर लगाया अंगुठा निशानी स्वयं का होना कथन किया गया है, जो कि दस्तावेजी एवं स्वप्रमाणित साक्ष्य है। इसके साथ ही पूर्व में न्यायालय हाजा द्वारा वाद संख्या 445/2003 में पारित निर्णय से प्रार्थी का यदि कोई हित प्रभावित होता था, तो तत्समय वह सक्षम न्यायालय में अपने हितों की रक्षा हेतु न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध चारा–जोही हेतु स्वतंत्र था। विचारण न्यायालय में अपीलांट को सम्यक तामील के उपरांत एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है। अपीलांट प्रकरण के प्रति गंभीर नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र आदेश 09 नियम 13 सीपीसी के संलग्न न्यायालय में प्रस्तुत तथ्यों एवं जवाब आवेदन पत्र के अनुसार विचारण न्यायालय द्वारा निर्णित वाद संख्या 445/2003 में अप्रार्थीगण द्वारा कृषि भूमि खसरा नम्बर 91 रकबा 1.18 वाके ग्राम फकीरपुरा तहसील धोद में आवेदक/प्रार्थी के नाना दल्लाराम द्वारा अपंजीकृत दस्तावेज से बेचान किया जाना बताकर उद्घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, जिसमें प्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर दिनांक 03.07.2008 को न्यायालय हाजा द्वारा पारित डिक्री एवं निर्णय के आधार पर ना.क. सं. 184 के तहत खसरा नम्बर 91 रकबा 1.18 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम फकीरपुरा के राजस्व रिकार्ड से संकरी देवी पत्नी भगवानाराम, जगदीशप्रसाद पुत्र भगवानाराम हिस्सा 1/3, बिड़दीचंद, प्रभुराम माता नारायण हिस्सा 2/3 के स्थान पर अनावेदक संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज हुई। पत्रावली में वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली, सीकर के यहां तत्समय विचाराधीन परिवाद 209/2016 जिसमें निशानी करना कथन किया है किन्तु दौराने जांच थानाधिकारी, पुलिस थाना, कोतवाली, सीकर के समक्ष प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वाद संख्या 445/2003 में प्रस्तुत वकालतनामा पर लगाया अंगुठा निशानी स्वयं का होना कथन किया गया है, जो कि दस्तावेजी एवं स्वप्रमाणित साक्ष्य है। इसके साथ ही पूर्व में न्यायालय हाजा द्वारा वाद संख्या 445/2003 में पारित निर्णय से प्रार्थी का यदि कोई हित प्रभावित होता था, तो तत्समय वह सक्षम न्यायालय में अपने हितों की रक्षा हेतु न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध चारा–जोही हेतु स्वतंत्र था। विचारण न्यायालय में अपीलांट को सम्यक तामील के उपरांत एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलांट मूलवाद के निर्णय के विरूद्ध नियमित अपील करने हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 19.9.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम भोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर